

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र० / यो० बजट-14 / 2015

पटना, दिनांक - _____

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई०पी०डी०एस०) के अंतर्गत एस.बी.पी.डी.सी.एल. के 65 शहरी क्षेत्रों में से 4 वितरण फ्रेन्चाइजी क्षेत्र छोड़कर शेष 61 शहरी क्षेत्रों में 24×7 विद्युत उपलब्धता, ए०टी०एण्डसी० हानि कम करने एवं सभी बसावटों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नोडल एजेंसी पी०एफ०सी० द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 1042.50 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

राज्यादेश संख्या-2461, दिनांक- 24.08.2015 के द्वारा इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई०पी०डी०एस०) के अंतर्गत एस.बी.पी.डी.सी.एल. के 65 शहरी क्षेत्रों में से 4 वितरण फ्रेन्चाइजी क्षेत्र छोड़कर शेष 61 शहरी क्षेत्रों में 24×7 विद्युत उपलब्धता, ए०टी०एण्डसी० हानि कम करने एवं सभी बसावटों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नोडल एजेंसी पी०एफ०सी० द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 1042.50 करोड़ रुपये की अनुमोदित योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 1042.50 करोड़ रुपये का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी पी०एफ०सी० के माध्यम से अनुदान स्वरूप, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति तथा पी०एफ०सी०, बिहार सरकार एवं वितरण कम्पनियों के बीच त्रिपक्षीय एकरारनामा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यादेश संख्या-3775 दिनांक-30.12.2016 के द्वारा 2016-17 में 30.00 करोड़ (तीस करोड़) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध करायी गयी हैं। इस योजना के त्वरित गति से किये जा रहे कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये कुल 30.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016-17 में 25.00 करोड़ रुपये की मांग की गयी हैं। जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई०पी०डी०एस०) के अंतर्गत एस.बी.पी.डी.सी.एल. के 65 शहरी क्षेत्रों में से 4 वितरण फ्रेन्चाइजी क्षेत्र छोड़कर शेष 61 शहरी क्षेत्रों में 24×7 विद्युत उपलब्धता, ए०टी०एण्डसी० हानि कम करने एवं सभी बसावटों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नोडल एजेंसी पी०एफ०सी० द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 1042.50 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष- 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकर्मों में निवेश मांग सं०-10 उपशीर्ष-0111 बिहार स्टेट पावर(हो) कम्पनी लि० की परियोजना, विपत्र कोड-P4801051900111, विषय शीर्ष-5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा



4. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता(पी० एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0047-साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, व्यय शीर्ष एल० 8448001200047 एवं प्राप्तियाँ-के०-8448001200047 में जमा की जाएगी।
5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र० /यो० बजट-14/2015 के पृष्ठ संख्या 30/टि० पर दिनांक 22.08.2015 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- प्र० /यो० बजट-14/2015 के पृष्ठ संख्या 49/टि० पर दिनांक 17.03.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र० /यो० बजट-14/2015

दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।


ज्ञापांक प्र० /यो० बजट-14/2015

957

दिनांक

18/03/2017

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव।